

11/09/23

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों को नोटिस पूर्व में रजिस्ट्रड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 1.5 माह का समय व्यतीत हो चुका है। विप्रार्थीगण बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहे। विप्रार्थीगणों को न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगणों के खेतों की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिसमें से प्रार्थीगणों एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेतों की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा करा कर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफतर हो।



में जारी है  
अदालत  
हुकूमत

राजस्थान-सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

क्रमांक : वाद / 2023 / 1165

दिनांक : 11/9/23

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

खरथाराम पुत्र खुमाराम जाति जाट,  
निवासी जोगासर कुंआ छीतर का पार  
तहसील बाटाडू

अम्मेदाराम पुत्र पूनमाराम वगैरा 20 जातियान।  
जाट निवासी जोगासर कुंआ छीतर का पार  
तहसील बाटाडू

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 280 / 2023

### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा जोगासर कुंआ, पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा नं. क्रमशः 101, 72, 73, 123, 124, 737/637 रकबा। क्रमशः 3.4059, 0.0890, 39.5601, 0.0485, 10.6626, 5.9947 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बाटाडू को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(प्रमोद कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 11/9/23

क्रमांक वाद / 2023 / 1166 - 70  
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बाटाडू
2. पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रह कर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी खरथाराम पुत्र खुमाराम
4. विप्रार्थीगण अम्मेदाराम पुत्र पूनमाराम वगैरा 20
5. पुलिस थानाधिकारी बाटाडू

(प्रमोद कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) बायतु